राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

क्र.स.	अपील संख्या	प्रत्यर्थी विभाग का नाम	प्रस्तुत करने की तिथि	अपीलार्थी की ओर से	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	65/2024 राजेश कुमार संचेती	1. राजस्थान राज्य जरिय शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज)। 2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा)। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भीलवाड़ा, (राज.)	20.01.2025	श्री महेंद्र सिंह गोदारा, अभिभाषक	15.01.2025
2.	70/2025 सुनिता देवी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, (गैर राजपत्र), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ जिला चुरू, राजस्थान। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ जिला चुरू राजस्थान। 5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उप जिला अस्पताल राजगढ़ ब्लॉक राजगढ जिला चुरू, राजस्थान।	20.01.2025	श्री बींजाराम जायरा, अभिभाषक	15.01.2025
3.	71/2025 शकुन्तला देवी	1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक (गैर राजपत्र), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर। 3. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),पंचायतीराज विभाग चिकित्साा राजस्थान, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, चुरू, राजस्थान।		श्री बींजाराम जायरा, अभिभाषक	15.01.2025
4.	74/2025 अब्दुल हमीद अंसारी	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा)विभाग, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर। 3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा)विभाग, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर। 5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, केकडी, अजमेर। 6. चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला अस्पताल, केकडी, अजमेर।		श्री बींजाराम जायरा, अभिभाषक	15.01.2025
5.	75/2025 जयपाल सिंह	1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, जयपुर। 3. निदेशक, (अराजपत्रित), एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा)विभाग, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फलौदी।		श्री बीरजाराम जायरा, अभिभाषक	15.01.2025

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.01.2025

उपस्थिति :—

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 65/2025 राजेश कुमार संचेती बनाम प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।
3. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को सामुदायकि स्वास्थ्य केन्द्र पारोली से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलूंद, शाहपुरा में बिना किसी प्राधिकार के स्थानान्तरण किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

6. अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. मूल आदेश अपील संख्या 65/2025 राजेश कुमार संचेती बनाम प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य